

## -:: आदेश ::-

सम्बन्ध'य' के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संख्या जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्वथी			
1.	धीरेन्द्र कुमार कुरील, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कोटवाण, मथुरा	स्वयं के अनुरोध पर
2.	पवन कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, घांसीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, जमसद, मुजफ्फरनगर	जनहित में
3.	विकास चौधरी, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, घांसीपुर बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
4.	राहुल सिंह, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, घांसीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
5.	कपिल काजल स्वरूप, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, छाछ, भोगांव, मैलपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, दण्डला, फिरोजाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
6.	अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, आलापुर, बदायूं	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर
7.	दुर्जेश कुमार मिश्रा, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मुजहाना कुशीनगर	राजकीय पालीटेक्निक, हाटा, भिलौहेली, आजमगढ़	स्वयं के अनुरोध पर
8.	विशालेश, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, झारसी	जनहित में
9.	एन०के० मिश्रा, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर	प्रशासनिक आधार पर
10.	मशयान्त कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर	राजकीय पालीटेक्निक, मुजहाना हाटा, कुशीनगर	जनहित में
11.	रोहित कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, हरदोई	राजकीय पालीटेक्निक, पूरबपुर, पीलीभीत	जनहित में

उपरोक्त में से जिन कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई बाधा भत्ता आदि देना नहीं होगा।

सम्बन्धित संख्या प्रकाशकार्यों को निर्दिष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त संदर्भित कार्मिकों को प्रतिस्वाकी की प्रतीक्षा किये सखीर कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दे।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में नाना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण सेकने सम्बन्धी प्रशासिकों को अवगतित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिकों इन आदेशों की विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस